(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3557–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–9–2016 पारित द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त–3 सारसखेड़ी तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर म0प्र0 प्रकरण कमांक 3/अ–70/2015–16.

रमेश सिंह पुत्र रामसिंह रघवंशील
निवासी अम्हेरा तहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

हरिसिंह पुत्र सरदारसिंह रघुवंशी
निवासी ग्राम पिपरेसरा हाल निवासी
गायत्री मंदिर के पास अशोकनगर
जिला अशोकनगर म0प्र0

——— अनावेदक

.....

श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक आवेदक
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/10/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार वृत्त–3 सारसखेड़ी तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर के आदेश दिनांक 09–9–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक हरिसिंह ने नायब तहसीलदार के समक्ष ग्राम पिपरेसरा की भूमि सर्वे कमांक 3951 मि0 रकवा 0.836 है पर आवेदक रमेश सिंह द्वारा कब्जा कर लेने के कारण संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 09–9–2016 को अंतिम आदेश पारित करते हुये आवेदक द्वारा अनाधिकृत कब्जा सिद्ध पाते हुये उसे बेदखल करने के आदेश दिया तथा

साथ 50000/– अर्थदण्ड भी अरोपित किया। नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि आवेदक को पैसे लेकर 12–13 वर्ष पूर्व सरहदी काश्तकारों के समक्ष सौंप चुका था तब से आवेदक प्रनाधीन भूमि पर काबिज होकर चला आ रहा है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। विचारण न्यायालय ने आवेदक को विना साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कोई स्वतंत्र साक्षी या मेड़िया या ग्राम पिपरेसरा के साक्ष्य नहीं कराये हैं। विचारण न्यायालय ने हल्का पटवारी से वर्तमान स्थल जांच रिपोर्ट मंगाने नहीं मंगाई है। विचरण न्यायालय द्वारा मनमाने रूप से आवेदक के विरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्ती योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि आवेदक के पक्ष में अनावेदक द्वारा भूमि का किसी प्रकार का कोई विकय नहीं किया है। आवेदक द्वारा अनावेदक की भूमि पर कब्जा कर लेने से उसके द्वारा संहिता की धारा 250 का आवेदन विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसपर विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर आवेदक को बेदखल कर अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। यह भी तर्क किया कि नायब तहसीलदार ने प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकती। नायब तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरूद्ध अपील किये जाने का प्रावधान है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसपर नायब तहसीलदार ने दिनांक 09–9–2016 को अंतिम आदेश पारित कर आवेदक को विवादित भूमि से बेदखल करने एवं अर्थदण्ड आरोपित किया है। नायब

तहसीलदार ने अंतिम आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध संहिता की धारा 44(1) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। दर्शित परिस्थितियों आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर